बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या–40/2025, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेशः–

श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापन संख्या–40/2025 के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 03.11.2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल 139 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। आयोग उक्त सभी सफल उम्मीदवारों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित करता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:00 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:00 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
10.12.2025 बुधवार	400046, 400080, 400085, 400093, 400322, 400352, 400371, 400393, 400450, 400967, 400993, 401137, 401184, 401360, 401381, 401651, 401672, 401789, 401861, 401889, 401918, 402223, 402257, 402289, 402339, 402399, 402491, 402522, 402782, 402809, 402823, 402891, 402993, 403101, 403214, 403262,	403336, 403371, 403472, 403600, 403681, 403759, 403760, 403810, 403852, 403869, 403880, 403953, 403958, 404081, 404141, 404277, 404344, 404457, 404541, 404589, 404602, 404719, 404764, 404957, 404994, 405028, 405042, 405181, 405204, 405237, 405247, 405644, 405673, 405938, 405984, 406112,
11.12.2025 गुरूवार	406345, 406515, 406709, 406811, 406831, 406870, 406980, 407164, 407173, 407285, 407337, 407399, 407433, 407610, 407617, 407636, 407806, 407873, 408168, 408238, 408578, 408960, 409102, 409239, 409480, 409575, 409612, 409669, 410125, 410249, 410603, 410671, 410852, 411018, 411045, 411143,	411213, 411300, 411303, 411390, 411593, 411631, 411675, 411760, 411844, 412042, 412320, 412504, 412541, 412551, 412552, 412916, 413051, 413076, 413249, 413313, 413353, 413435, 413521, 413529, 413562, 413696, 413751, 413788, 413970, 414085, 414154

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।

03. आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I एवं II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

04 **सभी उम्मीदवार अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाईन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार एक (one) सेट में भी लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) लिखित परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्र।

(iii) स्नातक - B.E/B.Tech. का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।

(iv) स्नातक - B.E/B.Tech. का डिग्री प्रमाण–पत्र।

(v) स्नातकोत्तर - M.E/M.Tech. का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।

(vi) स्नातकोत्तर - M.E/M.Tech. का डिग्री प्रमाण पत्र।
नोटः– (1) स्नातक - B.E/B.Tech. एवं स्नातकोत्तर - M.E/M.Tech. से सम्बन्धित संस्था/विश्वविद्यालय/डिम्ड विश्वविद्यालय के AICTE/ UGC से मान्यता प्राप्त होने तथा सम्बन्धित उपाधि के नियमित (Regular Mode) रूप से प्राप्त करने सम्बन्धी साक्ष्य/प्रमाण पत्र की मांग भी की जा सकती है।
उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के दिन मांगे जाने की स्थिति में समर्पित करेंगे।

(vii) B.E/B.Tech./M.E/M.Tech. के अंक पत्र/डिग्री प्रमाण पत्र में CGPA/ DGPA/YGPA/ OGPA /GPA/CPI इत्यादि अंकित रहने की स्थिति में अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र (Session) में B.E/B.Tech एवं M.E/M.Tech उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र में सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा लागू CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला सम्बन्धी प्रमाण पत्र
बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/ अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।

(viii) **(क) कारखाना में कार्यानुभव का दावा करने की स्थिति में :–**
(1) दिनांक 09.06.2025 को विज्ञापन के साथ प्रकाशित कारखाना से सम्बन्धित प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
(2) उक्त कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति (Appointment) पत्र एवं कार्यानुभव अवधि के अधीन वेतन पर्ची तथा बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
(3) कार्यानुभव से सम्बन्धित संस्था "कारखाना" है, इसके लिए Factory License की प्रति।
(ख) शिक्षण अनुभव का दावा करने की स्थिति में:–
(1) दिनांक 09.06.2025 को विज्ञापन के साथ प्रकाशित शिक्षण से सम्बन्धित प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
(2) उक्त कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति (Appointment) पत्र एवं उक्त कार्यानुभव अवधि के अधीन वेतन पर्ची तथा बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
(3) कार्यानुभव से सम्बन्धित संस्था एक मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान है, सम्बन्धित अधिसूचना/पत्र।
नोटः– उक्त प्रमाण पत्र/साक्ष्य जमा नहीं करने की स्थिति में उनके अनुभव अंक पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ix) निदेशी (रेफरीज) के रूप में ऐसे दो व्यक्तियों के नाम जो उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से परिचित हो और जो संबंधी नहीं हो, इस आशय का दिनांक 09.06.2025 को विज्ञापन के

साथ प्रकाशित निदेशी (रेफरीज) सम्बन्धित प्रारूप में प्रमाण पत्र।

(x) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।

(xii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।

(xiii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं।

(xiv) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र।

(xvi) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xvii) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xviii) ऑनलाईन आवेदन की कंडिका–1 में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति।

(xix) दो पासपोर्ट साईज का अद्यतन फोटो।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–03.07.2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

05. **उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता प्रभावित होगी तथा उनके अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

06. (i) यदि आपने अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थाई पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iii) EWS के आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलायें यदि अपने पति के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित करती हैं तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा EWS आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

07. **दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 01 (एक) घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

09. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि** आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

10. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नकः– 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I

2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत, अनुभव विवरण प्रपत्र–II

21/11/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना